

कृषि व्यवसाय प्रबंधन संस्थान

(स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर)


कमांक. एफ./स्था./2024/536

दिनांक 06.07.2024

नीलामी सूचना


सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि कृषि व्यवसाय प्रबंधन संस्थान (स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर) में पुस्तकालय के रददी अखबार एवम पत्र पत्रिकाए की सावजनिक नीलामी जंहा है जैसी है अवस्था में दिनांक 19.7.24. को दोपहर 12.30 बजे से संस्थान परिसर में प्रारम्भ कर उसी दिन समाप्त की जायेगी जो भी कबाडी/व्यवसायी/व्यक्ति/फर्म/टेकेदार आदि इच्छुक है वो नीलामी दिवस के दिन दोपहर 12.30 बजे से नीलामी बोली में भाग ले सकते है।

नीलामी की अन्य शर्तो की जानकारी एवं सामान का निरीक्षण दिनांक 18 जुलाई 2024 को कार्य दिवस एवं कार्यालय समय के दौरान संस्थान मे किया जा सकता है।


निदेशक

नीलामी की शर्तें

- 1- पुस्तकालय के रददी अखबार एवम पत्र पत्रिकाए का कृषि व्यवसाय प्रबन्धन संस्थान ;आई. ए. बी. एम. स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर में नीलामी दिनांक से एक दिन पूर्व कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण किया जा सकता है ।
- 2- नीलामी से पूर्व बोली लगाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को धरोहर राशि रू. 5,000 ₹ नगद जमा करानी होगी। यह राशि नीलामी के दिन नीलामी से पूर्व सुबह 11 बजे से 11.30 बजे तक जमा कराई जा सकती है ।
- 3- नीलामी की कार्यवाही आई. ए. बी. एम. स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर में बन्द स्थान पर की जायेगी । जिसमें केवल अधिकृत बोली लगाने वाले जिन व्यक्तियों के पास धरोहर राशि जमा की रसीद हो उसी को ही प्रवेश दिया जावेगा। इसके अलावा किसी भी व्यक्ति को उस स्थान पर प्रवेश नहीं दिया जायेगा ।
- 4- अधिकतम बोली लगाने वाले व्यक्ति को कुल राशि की 25 प्रतिशत राशि मोके पर ही नकद जमा करानी होगी व शेष राशि 05 दिन के भीतर जमा करानी होगी । नीलामी की पूर्ण राशि जमा होने पर ही सामान सुपुद्र किया जायेगा । अगर बोलीदाता 05 दिन के भीतर शेष राशि 75 प्रतिशत राशि जमा नहीं कराई जाती है, तो ऐसी स्थिति में 25 प्रतिशत राशि जब्त कर ली जावेगी ।
- 5- किसी भी विवाद व अन्य मामलों में कमेटी का निर्णय अन्तिम व मान्य होगा।
- 6- किसी भी बोली अथवा सम्पूर्ण नीलामी को बिना कारण बताए निरस्त करने का अधिकार नीलामी कमेटी के पास सुरक्षित रहेगा।
- 7- अगर नीलामी कमेटी को सामान की अनुमानित राशि नीलामी द्वारा प्राप्त नहीं हो रही है तो कमेटी को उस सामान की नीलामी निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।
- 8- विश्वविद्यालय का कोई भी कर्मचारी नीलामी में भाग नहीं ले सकता है।
- 9- नीलामी सामान ले जाने की पूर्ण व्यवस्था बोलीदाता की होगी।
- 10- सामान जहां है जैसा है के आधार पर नीलाम किया जायेगा।
- 11- ब्रिकी किए गए सामान की किसी भी प्रकार के कर की जिम्मेदारी अधिकतम बोली लगाने वाले व्यक्ति को वहन करनी होगी, कर संबधी कायवार्ही के पूर्ण होने के पश्चात ही सामान सुपुद्र किया जाएगा।
- 12- अगर सभी सामान की नीलामी दि. 19.07.2024 को पूर्ण नहीं होती है तो शेष सामान की नीलामी अगले दिन को भी जारी रहेगी ।


निदेशक